GOVT. OF N.C.T. OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION (ESTABLISHMENT-IV BRANCH)

ROOM NO.11-B, OLD SECRETARIAT: DELHI-54

F.NO. DE 4(6)(260)/E.IV/2005/ 18925- 18974

Dated: 26/12/11

CIRCULAR

Copy of Recruitment Rules for the post of Assistant Teacher (Nursery), Directorate of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV on 15/06/2011 and its Corrigendum published in Delhi Gazette Extraordinary Part-IV on 16/11/2011 are hereby circulated for information of all concerned.

(S.S. TOKAS)

ASSTT. DIRECTOR EDU. (E-IV)

F.NO. DE 4(6)(260)/E.IV/2005/ | 8925-18974 Copy to the:-

Dated: 26/12/11

- Under Secretary (UPSC), Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-69 with reference to letter No.F3/24D(8)/2010-RR dated 28/03/2011.
- 2. Pr. Secretary (Finance), Govt. of N.C.T. of Delhi, I.P.Estate, New Delhi-2.
- Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.), Govt. of N.C.T. of Delhi, I.P. Estate, New Delhi-2.
- 4. Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education & Literacy, Shastri Bhavan, New Delhi-110001.
- Dy. Secretary, NCTE, Wing-II, Hans Bhavan, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002.
- 6. Chairman (DSSSB), FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi-92.
- Director (Education), New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi.
- 8. Chief Cantonment Officer, Delhi Cantonment Board, New Delhi-110010.
- Director (Primary Education), Municipal Corporation of Delhi, Old Hindu College Building, Kashmiri Gage, Delhi.
- Joint Secretary (Services), Services Department (Branch-IV), Govt. of N.C.T. of Delhi, 7th level, Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi-2 with reference to U.O. No.F.2/07/RR/05-S.IV/1498 dated 8/06/2010.
- 11. Secretary (SCERT), Varun Marg, Defence Colony, New Delhi-110024.
- 12. SPD (UEE Mission-SSA), Dte. of Education, GNCT of Delhi, 1st Floor, Distt. North, Lucknow Road, Delhi-54.
- 13. All Regional Directors of Dte. of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- 14. All Dy. Director of the Districts, Dte. of Education, Govt. of N.C.T. Delhi.
- 15. DCA, Dte. of Education, Govt. of N.C.T. of Delhi.
- OSD/P.S. to Hon'ble L.G. Delhi/Chief Minister Delhi/Minister of Education/Chief Secretary Delhi/Pr. Secretary (Education)/Director Education/Addl. L.E. (Admn.), Dte. of Education, GNCT of Delhi.
- 17. All branch In-charges at Directorate of Education (HQ), Govt. of N.C.T. of Delhi, Old Sectt., Delhi.
- 18. Superintendent/CN, GAD, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., I.P. Estate, New Delhi.
- 19. O.S. (IT), Directorate of Education for upload this Recruitment Rules and its Corrigendum at the website of this Directorate.

(S.S. TOKAS)

ASSTT. DIRECTOR EDU. (E-IV)



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

दिल्ली, बुधवार, जून 15, 2011/ज्येष्ठ 25, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 68

N.C.T.D. No. 68

No. 102|

DELHI, WEDNESDAY, JUNE 15, 2011/JYAISTHA 25, 1933

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 15 जून, 2011

सं. फा. 61(267)/सीडब्लूसी कौम/डी डी (सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2010/6746-773.— किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2009 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन नियम, 2010 है।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
- 2. दिल्ली न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2009, में बाद के रूप में संदर्भित नियम 24 में उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-नियम, सम्मिलित किया जाएगा :—
 - "(7) बाल कल्याण सिमिति अध्यक्ष/सदस्यों को किसी भी कार्य दिवस पर आधे दिन की बैठक की अनुमित दी जाएगी जो कि अध्यक्ष की अनुमित पर होगी, 3 घंटे की न्यूनतम बैठक पर 500 रुपए का इस बैठक (दिन) हेतु भुगतान किया जाएगा।
 - 3. उपर्युक्त नियमों के नियम 26(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रहेगा :---
 - "(1) बैठक के लिए कोरम दो सदस्यों की उपस्थिति होगी, जिसमें अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। सिमिति की दूसरी बैठक के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नामजदगी अध्यक्ष द्वारा होगी।
- 4. उपयुक्त नियमों के प्रपत्र-IV (सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट) तथा X (जांच के लीबत रहने के दौरान बालक को अल्पकाल के लिए संस्था में रखे जाने का आदेश) में निम्नलिखित कालम जोड़ा जाएगा।

'SC/ST/OBC (जैसा बच्चे के द्वारा बताया गया)'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव काले, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2011

- F. No. 61(267)/CWC. Comm./DD/ (CPU)/DWCD/2010/6746-773.—In exercise of the powers conferred by Section 68 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the rules to amend the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009 as following, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules shall be called the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendments Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. In the Delhi Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2009 thereinafter referred to as this said Rules in rule 24, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(7) The Child Welfare Committee Chairperson/Members shall be allowed half day sitting i.e. minimum of 3 hours on any working day occasionally with permission of the chairperson and they shall be paid Rs. 500 only for such sitting.
 - 3. In the said Rules, in rule 26 for sub-rule (1) the following shall be substituted, namely:-
 - "(1) The quorum for the meeting shall be two members attending, which may include the Chairperson or officiating Chairperson. The officiating Chairperson for the second sitting of the Committee shall be nominated by the Chairperson."
- 4. In the said rule in Form No. IV (Social Investigation Report) and X (Order of Short Term Placement Pending Inquiry), the following column shall be incorporated:—

'SC/ST/OBC (as reported by Child).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, RAJIV KALE, Director

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जन, 2011

- फा. सं. डी.ई. 4(6 X 260)/ई.-IV/2005/7600.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित सिवधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 1 जून, 1993 की अधिसूचना संख्या फा. 27/2/92-शि./1150-56 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (नर्सरी) के पद की भर्ती पद्धति विनियमित करने संबंध निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—
- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.— (क) इन नियमों को सहायक अध्यापक (नर्सरी) शिक्षा निदेशालय भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
 - (ख) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागु समझे जाएंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलगन अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा तथा योग्यताएं, आदि.— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।
 - 4. अयोग्यता.-- ऐसा कोई भी व्यक्ति,--
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता या विवाह का अनुबंध करता है; या
- (ख) जो एक जीवित पित/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए व्यक्तियों/पदों को किसी ज्ञेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव.— इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किये जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (नर्सरी) के पद के भर्ती नियम

कार्यभार पर अराजपत्रित, 34800 रुपये अनुदेशों के अनुसार सरकारी कम् निर्भर है। अलिपिकीय (ग्रेड पे-4200 चारियों के लिये 5 वर्ष तर रुपये) रीप : आयु-सीमा निर्धाति करने के लिए मान्य तारीख वही हो जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों आवेदन-पत्र प्राप्त करने की औं तिथि हो लेकिन यह असम मेघाल अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मण्णि नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कि जम्मू व कश्मीर राज्य व लद्दाख 'सब-डिवीजन, हिमाच प्रदेश का लाहौल व स्मीति जि तथा चम्बा जिले की पां सब-डिवीजन व अंडमान निको द्वीप समृह, लक्षदीप के उम्मीदव के लिए निर्धारित ऑतेम तारीख न है।	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
(नर्सरी) "इसमें परिवर्तन सेवा, श्रेणी 'ख', 9300 - कार्यभार पर अराजपत्रित, 34800 रुपये अनुदेशों के अनुसार सरकार ह्राय जारी आरेशों के निष्य कि कार्यभार पर अराजपत्रित, 34800 रुपये निर्भर है। अलिपिकीय (ग्रेंड पे-4200 रुपये) टीप : आयु-सीमा निर्धा कि तरे 5 वर्ष त शिक्षत्तीय। टीप : आयु-सीमा निर्धा कि तरे के लिए मान्य वारीख वही हो जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों आवंदन-पत्र प्राप्त करने की ऑ तिश्र हो लेकिन वह असम मेघाल अरुणावल प्रदेश, मिजोराम, मिण नागालैंड , तिपुरा, सिकिक जम्मू व कश्मीर राज्य लद्दाख सब-डिवीजन, हिमार प्रदेश का लाहौल व स्पीति जितथा चम्या जिले की पा सब-डिवीजन व अंडमान निको द्वीप समूह, लक्षतीय के उम्मीदव के लिए निर्धारित औतिम वारीख है। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ओतिम वारीख है। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ओतिम वारीख है। त्रित्र शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं निर्धार्थ को अर्थि के निर्धा को अर्थि स्वा की अर्थि स्व कोई है विकास मान्यताप्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कम से कम, 45 प्रतिशत अंको सहित सीनियर सैकेण्डरी (बाहवों कक्षा) या इन्टरामीडिएट या इसके समकक्ष । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अर्थि का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफकेट	1	2	3	4	5	6
करने के लिए मान्य तारीख वही हो जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों आवंदन-पत्र प्राप्त करने की ऑि तिथ्र हो लेकिन यह असम मेशल अरुणाचल प्रदेश, मिजीरम, मिण नागलैंड, त्रिपुरा, सिक्कि जम्मू व कश्मीर राज्य व लद्दाख 'सब-डिवीजन, हिमाइ प्रदेश का लाहौल व स्मीति जि तथा चम्बा जिले की पां सब-डिवीजन व अंडमान निको द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीद के लिए निर्धारित ऑतिम तारीख है। सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऑतिम तारीख है। परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई ह वर्षा मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकण्डरी (बारहवों कक्षा) या इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिएलोमा/सर्टिफिकेट		*इसमें परिवर्तन ' कार्यभार पर	सेवा, श्रेणी 'ख', अराजपत्रित,	9300- 34800 रुपये (ग्रेड पे-4200	लागू नहीं	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्म- चारियों के लिये 5 वर्ष तक
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 7 8 9 अनिवार्य : लागू नहीं 2 वर्ष 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित सीनियर सैकेण्डरी (बारहवीं कक्षा) या इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अविध का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट						टीप: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो लेकिन यह असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब-डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
अनिवार्य: लागू नहीं 2 वर्ष 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम, 45 प्रतिशत अंकों सिहत सीनियर सैकेण्डरी (बारहवीं कक्षा) या इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष। 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अविध का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट			निध	र्गारित शैक्षिक योग्य	यता एवं आयु-सीमा	परिवीक्षा की अविध, यदि कोई हो
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सिंहत सीनियर सैंकोण्डरी (बारहवों कक्षा) या इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष । किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अविध का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट		7		8		9
कम 45 प्रतिशत अंकों सिंहत सीनियर सैंकोण्डरी (बारहवों कक्षा) या इन्टरमीडिएट या इसके समकक्ष । 2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	अनिवार्य :		FS.	लागू नहीं		2 वर्ष
नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	कम, 45 प्रतिशत	अंकों सहित सीनि	यर सैकोण्डरी			
	नर्सरी अध्यापक शि	क्षा कार्यक्रम में डिप्लो		5	e e	

7

 सैंकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में हिन्दी अवश्य उत्तीर्ण की हो।

टीप:-प्रत्याशी के अन्यथा सुयोग्य होने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक के आधार पर अभिलेखबद्ध लिखित कारणों से योग्यता शिथिलनीय है।

भर्ती की पद्धित : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत

यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है

10

11

सीधी भर्ती द्वारा

लागू नहीं

यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?

वे परिस्थितयाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है

12

13

'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

- प्रधान सचिव/सचिव शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- -अध्यक्ष
- . 2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 77277
- 3. अतिरिक्त निर्देशक/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (शिक्षा), —सदस्
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

 अनु. जाति/अनु. ज. जाति समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी —सदस्य जो दिल्ली सरकार में उप-सचिव के रैंक से कम न हो

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, सुरेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2011

F.D.E. 4(6)(260)/E.IV/2005/7600.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Him (I), dated the 13th July, 1959, and in supersession of this Government's Notification No. F. 27/2/92-Edn.1150-56, dated the 1st June, 1993, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Teacher (Nursery) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Education, Assistant Teacher (Nursery) Recruitment Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualifications .- No person, --
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Assistant Teacher (Nursery) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Teacher (Nursery)	368* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not
				řeř.	the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,
2255	805/11-0	9.	14		Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, and Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for	Period of probation, if any	
2 A A	direct recruits will apply in		
	case of promotees		
(7)	(8)	(9)	
Essential:	Not applicable	Two years	
Senior Secondary School (Class Twelve) certificate or Intermediate or its equivalent with at least 45% marks from a recognized Board/University.			
 Diploma/Certificate in Nursery Teacher Education programme or a duration of not less than two years or B.Ed. (Nursery) from a recognized Institute. 			
Must have passed Hindi at secondary level.		r = 11 136	
Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.		5 <u>- 4</u>	
	H. W.		
Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		ent by promotion/deputation/ from which promotion/ on to be made.	
(10)		(11)	
By Direct Recruitment	Not	applicable	
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in win making recruitme	hich U.P.S.C. to be consulted nt	
(12)		(13)	
Group "B" DPC (For considering confirmation):	Consultation with I	UPSC is not necessary.	
Principal Secretary/Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi	Chairman		
Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi	Member		
 Additional Director/Additional Secretary/Joint Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi 	Member		
 An Officer belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe community not below the rank of Deputy Secretary in Government of National Capital Territory of Delhi 	—Member	. X	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, SURESH GUPTA, Addl. Secy.



अमाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]

दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2011/कार्तिक 25, 1933

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 198

No. 1851

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2011/KARTIKA 25, 1933

[N.C.T.D. No. 198

भाग-IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2011

सं. फा. 8/240/2010/गृह पु.-II/6826.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 1101/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से श्री एच.जे.एस. अहलुवालिया, एडवोकंट को, नवम्बर, 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस-एफआईआर संख्या 290/91 पुलिस स्टेशन त्रिलोक पुरी (अब पाण्डव नगर) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विरुद्ध अभियुक्त महेश उर्फ डब्बू द्वारा दायर उसकी सजा के विरुद्ध आपराधिक अपील संख्या 614/2011 एवं विविध (जमानत) संख्या 856/2011 के संचालन के लिये अगले आदेशों तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करते हैं।

उक्त श्री एच.जे.एस. अहलुवालिया, एडवोकेट को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) द्वारा निम्नलिखित फीस प्रदान की जायेगी:—

ब्रीफ हैंडलिंग प्रभार

33,000 रुपये

न्यायालय में उपस्थित होना,
 प्रति सुनवाई

22,000 रुपये

2,000 019

श्रात सुनवाइ 4192 DG/2011 3. कान्फ्रेंन्स प्रभार

5.000 रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजपाल सिंह, उप-सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th November, 2011

No. F. 8/40/2010/HP-II/6826.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 1101/2/74-UTL (i), dated 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri H.J.S. Ahluwalia, Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting Crl. Appeal No. 614/2011 and Misc.(Bail) No. 856/2011 against conviction filed by accused Mahesh @ Dabbu in Delhi High Court against Government of National Capital Territory of Delhi in November, 1984 anti-Sikh riot case-FIR No. 290/91, P.S. Trilokpuri (Now Pandav Nagar) on behalf of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the High Court of Delhi, till further orders.

The said Shri H.J.S. Ahluwalia, Advocate will be paid fee by the State (Government of National Capital Territory of Delhi), on the following terms and conditions:—

1. Brief handling charges

-Rs. 33,000

Appearance before the Court per hearing

-Rs. 22,000

3. Conference charges

-Rs. 5,000

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJPAL SINGH, Dy. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2011

सं. फा. 6/68/2010-न्याय/1367-1370.—माननीय न्यायाधिपति सुश्री मुक्ता गुप्ता ने, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यालय का कार्यभार दिनांक 23 अक्तूबर, 2011 (पूर्वान्ह) से सम्भाल लिया है।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS NOTIFICATION

Delhi, the 16th November, 2011

No. F. 6/68/2010-Judl./1367-1370.—Hon'ble Ms. Justice Mukta Gupta has assumed charge of her office as an Additional Judge of Delhi High Court in the forenoon of 23rd October, 2011.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

DIRECTORATE OF EDUCATION CORRIGENDUM

Delhi, the 16th November, 2011

No. F. D.E. 4(6)(260)/E.IV/2005/657.—Please read as "Diploma/Certificate in Nursery Teacher Education programme of a duration of not less than two years or B.Ed. (Nursery) from a recognized Institute." in place of "Diploma/Certificate in Nursery Teacher Education programme or a duration of not less than two years or B.Ed. (Nursery) from a recognized Institute." appearing in para 2 under column No. 7 at page 6 in SCHEDULE annexed with the Directorate of Education's Notification No. F. D. E. 4(6)(260)/E.IV/2005/7600, dated 15th June, 2011 of Recruitment Rules for the post of Assistant Teacher (Nursery) published in the Delhi Gazette (EXTRAORDINARY), No. 102, PART-IV, dated 15th June, 2011.

SURESH GUPTA, Addl. Secv.